विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 11.08.2015 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड की चतुर्थ बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– अनुलग्नक के अनुसार।

बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 11.06.2015 की कार्यवाही की संपुष्टि की गयी।

2. पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा कर सम्पुष्टि किया गया।

3. विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष के निर्देश के आलोक में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्धारित कार्यावली के अनुसार बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

4. पटना मास्टर प्लान 2031 पर विचारण हेतु श्री उत्पल शर्मा, (पूर्व Dean, CEPT University, Ahmedabad), जो पटना महायोजना 2031 के टीम लीडर रहे हैं, के द्वारा पटना मास्टर प्लान 2031 पर एक प्रस्तुति की गयी, जिसमें पृष्ठभूमि, कानूनी प्रावधान, मास्टर प्लान 2031 के निर्माण के चरण, मास्टर प्लान के उद्देश्यों, पटना आयोजना क्षेत्र का विवरण, मास्टर प्लान 2031 के प्रावधानों, Development Control Regulation आदि सभी पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति की गयी। इस दौरान की गयी प्रस्तुति अनुलग्नक–1 पर द्रष्टव्य है।

4.1 प्रस्तुति के उपरांत प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित मास्टर प्लान के प्रतिवेदन में अधिक विवरण अंकित करने की आवश्यकता है। पटना शहर के पुराने पथों के चौड़ीकरण के प्रावधान पर चर्चा होनी चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुचित प्रावधान किये जाने चाहिए। जलापूर्ति एवं पेयजल तथा पुनर्रूद्धार के प्रस्ताव भी शहरी परियोजना में समाविष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ बृहत्तर पटना में गंगा नदी के उत्तर के क्षेत्र को भी शामिल करने पर भविष्य में विचार करना चाहिए।

4.2 प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि पटना मास्टर प्लान के प्रावधानित Commercial strip के समानांतर चौड़ाई, जिसमें वाणिज्यिक गतिविधियाँ हो सकती है,

21.8.15

उसे स्पष्ट रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आवासीय क्षेत्रों में कार्यालय भवनों की स्थापना के प्रावधान को स्पष्ट रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

4.3 प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग ने वर्तमान एयरपोर्ट के भविष्य में होने वाले उपयोग के बारे में जानकारी चाही। साथ ही ग्रीन जोन में ईंट भट्टों को शामिल नहीं करने का सुझाव दिया। पटना से निकलने वाले नालों को गंगा नदी में मिलने से पहले ट्रीटमेंट की व्यवस्था पर जोर दिया गया। साथ ही साथ पूर्व से अवस्थित जल स्रोतों के समुचित संधारण की आवश्यकता को समावेशित करने का सुझाव दिया गया।

4.4 वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2.55 प्रतिशत भूमि प्रावधानित की गयी है, जो सामान्यतः प्रावधानित क्षेत्र 8 प्रतिशत से कम है। अतः यह प्रावधान अंकित कर दिया जाय कि उद्योग विभाग द्वारा कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यदि अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव प्राप्त होगा तो यथासमय सक्षम अनुमति के बाद अन्य उपयुक्त जोन में से अतिरिक्त स्थान औद्योगिक क्षेत्र हेतु उपलब्ध कराये जाएंगे ताकि औद्योगिक विस्तार की गतिविधियाँ आगे बढ़ सके।

4.5 गहन विचारोपरांत सदस्यों द्वारा दिये गये युक्तिसंगत सुझावों के आलोक में मास्टर प्लान 2031 में आवश्यक समावेश करने का निर्णय लिया गया। इससे संबंधित संक्षिप्त विवरणी अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

4.6 बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि बैठक में लिये गये निर्णयों को मास्टर प्लान प्रतिवेदन/Development Control Regulation में समावेशित करके, इस बैठक की कार्यवाही के साथ संलग्न किया जाय।

4.7 बोर्ड द्वारा तदनुसार अनुशंषित पटना मास्टर प्लान 2031 (Development Control Regulation सहित) अनुलग्नक–3 पर संलग्न है। कार्यपालक सार अनुलग्नक–4 पर संलग्न है।

4.8 बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पटना मास्टर प्लान 2031 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया जाय।

5. राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा के संबंध में बोर्ड की बैठक दिनांक 22.04.2015 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रारूप को दावे एवं आपत्ति के लिए प्रकाशित किया जाय। प्रकाशन की अंतिम तिथि दिनांक 19.07.2015 तक किसी प्रकार के सुझाव या आपत्ति प्राप्त नहीं हुए।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अनुलग्नक–5 के अनुसार राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बोर्ड की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाय।

6. बोधगया आयोजना क्षेत्र की सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा के संबंध में बोर्ड की बैठक दिनांक 22.04.2015 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रारूप को दावे एवं आपत्ति के लिए प्रकाशित किया जाय। प्रकाशन की अंतिम तिथि दिनांक 19.07.2015 तक प्राप्त एक सुझाव को जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। शेष 10 सुझाव प्राप्त हुए, जो मास्टर प्लान के चरण में विचार योग्य है।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अनुलग्नक–6 के अनुसार बोधगया आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बोर्ड की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाय।

7. दिनांक 22.04.2015 को बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार शरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एंवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अनुलग्नक–7 पर द्रष्टव्य प्रस्ताव को दावे एवं आपत्ति के लिए प्रकाशित करने हेतु जिला पदाधिकारी को भेजा जाय। जिला पदाधिकारी निम्नवत सुनिश्चित करेंगे :–

(i) प्रारूप का प्रकाशन कम से कम दो समाचार पत्रों में करेंगे।

(ii) प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र में सन्निहित सभी प्रशासनिक ईकाइयों यथा शहरी स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों को लिखित रूप से सूचना देंगे।

(iii) दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करेंगे।

(iv) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों का विधिवत अभिलेख रखेंगे।

(v) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन करेंगे। तदोपरांत अपनी स्पष्ट अनुशंसा बोर्ड के विचारण के लिए भेजेंगे।

21.8.15

8. दिनांक 22.04.2015 को बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अनुलग्नक–8 पर द्रष्टव्य प्रस्ताव को दावे एवं आपत्ति के लिए प्रकाशित करने हेतु जिला पदाधिकारी को भेजा जाय। जिला पदाधिकारी निम्नवत सुनिश्चित करेंगे :–

(i) प्रारूप का प्रकाशन कम से कम दो समाचार पत्रों में करेंगे।

(ii) प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र में सन्निहित सभी प्रशासनिक ईकाइयों यथा शहरी स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों को लिखित रूप से सूचना देंगे।

(iii) दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करेंगे।

(iv) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों का विधिवत अभिलेख रखेंगे।

(v) प्राप्त हुए दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन करेंगे। तदोपरांत अपनी स्पष्ट अनुशंसा बोर्ड के विचारण के लिए भेजेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

21.8.15
(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग सह–सदस्य सचिव, बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड, पटना

21/8
(सचिव),
विधि विभाग,
बिहार, पटना

21/8/2015
(प्रधान सचिव),
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना

(प्रधान सचिव),
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना

(प्रधान सचिव),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

21/8/15
निदेशक
उद्योग

21/8/2015
(प्रधान सचिव),
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना

(प्रधान सचिव),
वित्त विभाग,
बिहार, पटना

22/8/15
सचिव,
जल संसाधन विभाग

24/8/2015
(एस०के० नेगी),
विकास आयुक्त, बिहार–सह–अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड, पटना

DK

ज्ञापांक–11 न०वि०मा० प्लान (समिति)–17/2014 486 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

24.8.15

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–11 न०वि०मा० प्लान (समिति)–17/2014 486 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि :– बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–11 न०वि०मा० प्लान (समिति)–17/2014 486 न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.15

प्रधान सचिव